



11-11-2017 को
11-2-17

11-2-17

(13)

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
प्र0क0 /2016-17 अपील A-526-II-17

शिवकुमार दुबे पुत्र रामस्वरूप दुबे,
ग्राम रामनगर(गदाई)तहसील नरबर
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---अपीलांट

विरुद्ध

1- गोपाल शर्मा पुत्र देवलाल शर्मा
ग्राम रामनगर(गदाई)तहसील नरबर
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

---रिस्पान्डेन्ट्स

(मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल की
विज्ञप्ति क्रमांक 168-2138/छ:86 दिनांक 10 फरवरी, 1987 के
अंतर्गत - श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
2/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-1-17 के विरुद्ध)

अपील प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि ग्राम रामनगर गदाई तहसील नरबर में निम्नानुसार दो मंदिर हैं -

क्र. नाम मंदिर	मंदिर की स्थिति	मंदिर की भूमि है. में
1- हनुमान मंदिर	निजी मंदिर	निजी भूमि 0.550
2- रामजानकी मंदिर	माफी/औकाफ	माफी भूमि 2.07

1. हनुमान मंदिर स्वर्गीय राजाराम के पूर्वजों का निजी मंदिर है एवं जिस भूमि पर मंदिर है वह सर्वे क्रमांक 252 रकबा 0.550 है. राजाराम पुत्र मोहनलाल ब्राहमण के नाम पर है।

2. रामजानकी मंदिर धार्मिक एवं धर्मस्व विभाग है जिसके नाम भूमि सर्वे क्र0 460 रकबा 2.07 है. प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है।

राजाराम पुत्र मोहनलाल ब्राहमण उपरोक्त दोनों मंदिरों के पुजारी होकर पूजा सेवा करते थे, किन्तु उनके वृद्ध होने पर अपीलांट

मैं 9 एन एच
याल रिफ
7.7.17
AM -

M

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 526-दो/17 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05.7.17	<p>आवेदक श्री शिवकुमार दुवे उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर में दायर होना था लेकिन भूलवश प्रकरण राजस्व मण्डल में दायर हो गया है, इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर में दायर करने हेतु मूल दस्तावेज वापिस किये जावे।</p> <p>2- आवेदक श्री शिवकुमार दुवे का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में संलग्न मूल दस्तावेज अपर आयुक्त ग्वालियर में प्रकरण दर्ज कराने हेतु वापिस किये जाने के आदेश दिये जाते है।</p>	<p>सदस्य</p> <p>मूल दस्तावेज प्राप्त किये। 2-7-17 AOK.</p>